5

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 22 / 17

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

1. श्री जुगलकिशोर चंदिरमानी पुत्र श्री स्व. लक्ष्मणदास, उम्र 40 वर्ष (एफबीओ) फर्म मैसर्स स्वास्तिक सेल्स कारपोरेशन, प्लॉट न. 213, चीरघर हत्था, पाल लिंक रोड़, जोधपुर नि. 12 / 135 बी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
2. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा (प्रधान / निर्माता / नोमिनी) फर्म–मैसर्स–ओम फूड़ प्रोडक्टस ग्रामोद्योग मण्डल, 3 किमी स्टोन, बरवाला रोड़, हांसी जिला हिस्सार (हरियाणा) निवासी :– हाउस सं. 270 सेक्टर 6 पी. हांसी जिला–हिसार (हरियाणा)
3. फर्म मै. ओम फूड़ प्रोडक्टस ग्रामोद्योग मण्डल, 3 कि.मी. स्टोन, बरवाला रोड़, हांसी जिला–हिसार (हरियाणा) (निर्माता फर्म)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स स्वास्तिक सेल्स कारपोरेशन, प्लॉट न. 213, चीरघर हत्था, पाल लिंक रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान 10 गत्ता कार्टून में 120 पेट बोटल मैंगो ड्रिंक (फ्रूट जम्प) 1 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त मैंगो ड्रिंक (फ्रूट जम्प) 1 लीटर की चार पेट बोटल्स वास्ते नमूना संख्या एम–1106 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 183 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा मैंगो ड्रिंक (फ्रूट जम्प) 1 लीटर की चारों पेट बोटल्स बोतल हेतु अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1106 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1106 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1106 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वंय जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूनों एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मैंगो ड्रिंक (फ्रूट जम्प) 1 लीटर चार नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1106 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एल.एस. 506 / एक्ट / 2016 / 541 दिनांक 23.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेषन की प्रति, कार्य को नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूनां जमा

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1106 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपना जवाब लिखित में पेश करते बताया की उसके प्रोडक्ट मैंगो ड्रिंक (फ्रुट जम्प) मिथ्याछाप स्तर का है। उसकी फर्म द्वारा उक्त पेय पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की गई है। उसके द्वारा उक्त पेय पदार्थ अच्छी गुणवता का ही तैयार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए न्यायालय को आश्वासन दिया की भविष्य में उसके द्वारा मिथ्याछाप संबंधी में दोष नहीं किया जावेगा एवं निवेदन किया की उन पर कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करावें।

4. विवेचन के पश्चात पाया की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत खरीद बिल से यह ज्ञात होता है अप्रार्थी संख्या 1 उक्त निरीक्षित पेय पदार्थ का विक्रेता मात्र है तथा वह खरीदसुदा पेय पदार्थ को यथा स्थिती में ही बेचता हैं। अतः अप्रार्थी संख्या को दोष मुक्त किया जाता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब में उक्त पेय पदार्थ के मिथ्याछाप स्तर का होने संबंधी दोष स्वीकार किया है। पब्लिक हैल्थ लेबोट्री जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनाक 23.05.2016 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपील कर सकते थे। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पर शास्ती रूपये ......8000/-......अक्षरे आठ हजार मात्र आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 07/7/17......... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 7/7/17.......... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः–जांच / 2017 / 1531-1535

दिनांक :– 07/07/2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोधपुर।
03. श्री जुगलकिशोर चंदिरमानी पुत्र श्री स्व. लक्ष्मणदास, उम्र 40 वर्ष (एफबीओ) फर्म मैसर्स स्वास्तिक सेल्स कारपोरेशन, प्लॉट न. 213, चीरघर हत्था, पाल लिंक रोड़, जोधपुर।
04. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा (प्रधान / निर्माता / नोमिनी) फर्म–मैसर्स–ओम फूड़ प्रोडक्टस ग्रामोद्योग मण्डल, निवासी :– हाउस सं. 270 सेक्टर 6 पी. हांसी जिला–हिसार (हरियाणा)।
05. फर्म मै. ओम फूड़ प्रोडक्टस ग्रामोद्योग मण्डल, 3 कि.मी. स्टोन, बरवाला रोड़, हांसी जिला–हिसार (हरियाणा) (निर्माता)

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर